न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना
(पीठासीन अधिकारीः रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्तः–

1. राकेश वैष्णव पुत्र नोरतमल वैष्णव जाति वैष्णव (विक्रेता)
   निवासी –वैष्णव मौहल्ला मु.पो. बडू, तह. परबतसर जिला नागौर।
   फर्मः– मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, गणपति प्लाजा कॉम्पलेक्स, I.Sमार्केट वार्ड नं. 08 मकराना।
2. नोरतमल वैष्णव पुत्र शिवप्रसाद वैष्णव (मालिक)
   निवासी – वैष्णव मौहल्ला मु.पो. बडू, तह. परबतसर जिला नागौर।
   फर्मः– मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, गणपति प्लाजा कॉम्पलेक्स, I.Sमार्केट वार्ड नं. 08 मकराना।

प्रकरण संख्या :– 39/2021

" अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006"

उपस्थिति :–

1. प्रतिवादी राकेश वैष्णव पुत्र नोरतमल जाति वैष्णव ।
2. प्रतिवादी नोरतमल वैष्णव पुत्र शिवप्रसाद वैष्णव जाति वैष्णव।

–:निर्णय :–

दिनांक :– 08 दिसम्बर , 2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2020 को समय 11:45 ए.एम. पर फर्म मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, गणपति प्लाजा कॉम्पलेक्स, I.S मार्केट वार्ड नं. 08, मकराना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति राकेश वैष्णव पुत्र नोरतमल वैष्णव जाति वैष्णव निवासी– वैष्णव मौहल्ला मु.पो. बडू, तह. परबतसर जिला नागौर विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते खोया आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक श्री नोरतमल वैष्णव पुत्र शिवप्रसाद वैष्णव को होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ

अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदित की गई रसीद प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 20 किलो खोया आमजन को विक्रय वास्त एक बोयलर मे तैयार रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि यह खोया का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त बोयलर में रखे हुए लगभग 20 किलो खोया को एक लोहे के पलटे से अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 1 किलो खोया तुलवाकर एक साफ–सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 300/–(अक्षरे तीन सौ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ खोया के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1395 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता राकेश वैष्णव एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।

तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री माणकचंद वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

राजस्थान को अगले कार्यदिवस को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है, शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं.6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अगले कार्यदिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंग्न है।

अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने अलग–अलग कार्य दिवसों में कार्यालय के श्री माणकचन्द के द्वारा खाद्य सामग्री के पाँच नमूने वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक अजमेर को भिजवाये गये थे कि फार्म नं. 6 व नमूने की पावती रसीदें कार्यालय में सहवन से रखी गई है, जो काफी प्रयासों के बाद भी नही मिलने के कारण कार्यालय के पत्रांक 205 दिनांक 22.02.21 के द्वारा पांचों नमनों व फार्म नं. 6 की पावती रसीदों की सत्यप्रति पुनः भिजवाने बाबत् निवेदन किया गया। प्रेषित पत्र की कार्यालय प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्रीमान खाद्य विश्लेषक प्रभारी जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर ने उक्त वर्णित पत्रांक के प्रतिउत्तर में नमूना जमा कराने की रसीदें व पावती रसीदों की सत्यापित छायाप्रति अपने पत्रांक 196 दिनांक 25.03.2021 के माध्यम से भिजवाई। जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। श्रीमान आयुक्त एवं निदेशक जयपुर का पत्रांक 823 दिनांक 23.10.2020 प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य 26.10.20 से 14.11.20 चलाये जा रहे **शुद्ध के लिए युद्ध** अभियान के अन्तर्गत किये गये नमूनीकरण एव अन्य कार्यो की प्रभावी कियान्विति हेतु अभियान अवधि में राजकीय अवकाश दिवसों में राज्य में संचालित केन्द्रीय जन प्रयोगशाला जयपुर एवं सभी जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान कार्य दिवसों की भांति खुली रहेगी। जिसकी छायाप्रति न्याय निर्णायन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक–चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/598–99 दिनांक 25.11.2020 के साथ संलग्न जांच रिपोर्ट संख्या L.S/475/Act/2020/255 दिनांक 06.11.2020 से खाद्य पदार्थ खोया की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता राकेश वैष्णव से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया का नमूना Q–1395 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZZ)(iv) & 3(1) (ZZ) (vi) के तहत अनसेफ होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया एवं खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने फर्म को प्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 46(4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक–चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/598–99 दिनांक 25.11.2020 प्रेषित किया। अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद व जांच रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भंडार के खाद्य कारोबारकर्ता राकेश वैष्णव की और से, खाद्य विश्लेषक अजमेर की प्राप्त रिपोर्ट से संतुष्ट नही होने के कारण, अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के समक्ष प्रार्थना पत्र मय फार्म न0 8 व मूल डीडी प्रस्तुत कर पुनः जांच हेतु अपील की जिस पर कार्यवाही करते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने नमूने के दितीय भाग को श्रीमान निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को भिजवाया गया। फार्म–6ए की कार्यालय प्रति मय रजिस्ट्री की रसीद व फार्म नं.–8 मय प्रार्थना पत्र जो कि न्याय निर्णयन आवेदन संलग्न है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा पार्सल करने की मूल रसीद चस्पा है, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन सलंग्न है।

श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक–चिकि/एफएसएसए/RFL–Mysore/2021/318–19 दिनांक 19.03.2021 के साथ संलग्न निदेशक, रेफरल फूड लैबोरेट्री, मैसूर का विश्लेषण सर्टिफिकेट न0 85F/FSSA/2021 दिनांक 01.03.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ खोया का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3.1(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया तथा जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा फर्म को भी रजिस्टर्ड पत्रांक चिकि/एफएसएसए/RFL–Mysore/2021/318–19 दिनांक 19.03.2021 से भेजी गई। चूंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के नियम 2.4.6(प) के अनुसार रैफरल फूड लैबोरेट्री से प्राप्त जांच रिपोर्ट अन्तिम है। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का अग्रेषण पत्र मय रजिस्ट्री की मूल रसीद व विश्लेषण सर्टिफिकेट, जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता राकेश वैष्णव को प्रेषित की गई।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा– 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(3) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 14.07.2021 को प्रतिवादी राकेश वैष्णव व दिनांक 15.09.2021 को नोरतमल वैष्णव ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेन्ट/जवाब

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

प्रस्तुत किया। प्रतिवादीयो की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 03.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस खोया का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

(4) प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीयों को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादीयों पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(5) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 03.11.2020 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 11:45 ए.एम. पर फर्म मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, गणपति प्लाजा कॉम्पलेक्स, I.S मार्केट वार्ड नं. 08 मकराना जिला नागौर में पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति राकेश वैष्णव पुत्र नोरतमल वैष्णव जाति वैष्णव निवासी वैष्णव मौहल्ला, मु.पो. बडू, तह. परबतसर जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते खोया आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता से पूछने पर उक्त संस्थान नोरतमल वैष्णव पुत्र शिवप्रसाद वैष्णव का होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदित की गई रसीद प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 20 किलो खोया एक बोयलर में आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया था कि यह खोया का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जॉच हेतु ले रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त बोयलर में रखे हुए खोया को एक लोहे के पलटे से अच्छी तहर से हिलामिलाकर एकरूप कर, उस में से 1 किलो खोया तुलवाकर एक साफ–सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

300/–(अक्षरे तीन सौ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न0 दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ खोया के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q–1395 को नियमानुसार गोद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता राकेश वैष्णव एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्मः–मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, गणपति प्लाजा कॉम्पलेक्स, IS मार्केट वार्ड नं. 08 मकराना जिला नागौर, विक्रेता राकेश वैष्णव पुत्र नोरतमल वैष्णव जाति वैष्णव, निवासी वैष्णव मौहल्ला, मु.पो. बडू तह. परबतसर जिला नागौर से खाद्य पदार्थ खोया को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री माणकचन्द वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त कर शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

पत्रावली पर रेफरल फूड लैबोरेट्री मैसूर के FORM-A सिर्टिफिकेट नं. 85F/FSSA/2021 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः–

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

Opinion- The Sample is **" Substandard"** as defined under Section 3(1) (zx) of Food Safety and Standards Act, 2006 as it **does not conform** to the standards laid down for **khod** under the provisions of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 thereof, in that:

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ खोया की जांच रिपोर्ट संख्या LS/475/Act/2020/255 दिनांक 06.11.2020 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य विक्रेता राकेश वैष्णव से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया का नमूना Q–1395 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनसेफ पाया गया है। जिसकी जांच रिपोट, जांच रिपोर्ट संख्या LS/475/Act/2020/255 दिनांक 06.11.2020 राकेश वैष्णव को प्रेषित की गई। जिससे संतुष्ट नहीं होने से विक्रेता राकेश वैष्णव ने पुनः रेफरल लैबोरेट्री से जांच करवाने हेतु अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र मय फार्म न. 8 व मूल डीडी प्रस्तुत कर अपील की जिस पर अभिहित अधिकारी ने निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार मैसूर को नमूना भिजवाया। निदेशक, रेफरल लैबोरेट्री मैसूर का विश्लेषण सर्टिफिकेट न .85F/FSSA/2021 दिनांक 19.01.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ खोया का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3.1(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहज जुर्माने योग्य है। निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला रेफरल लैबोरेट्री, मैसूर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार हैः–

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है–

धारा 51:–अवमानक खाद्य के लिए शास्तिः–

कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(7) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांकः चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2020/598–99 दिनांक 25.11.2020 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है। जिससे संतुष्ट नही होने पर पुनः जांच

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना (नागौर)

हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत किया। जिसकी जांच रेफरल लैबोरेट्री मैसूर से करवायी गई जिसके तहत उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3.1(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, गणपति प्लाजा कॉम्प्लेक्स, IS मार्केट वार्ड नं. 08 मकराना जिला नागौर दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा–(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा–51 के तहत प्रतिवादी राकेश वैष्णव पुत्र नोरतमल वैष्णव जाति वैष्णव, स्थायी निवासी–वैष्णव मौहल्ला, मु. पो. बडू तह. परबतसर जिला नागौर, फर्मः– मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, गणपति प्लाजा कॉम्पलेक्स, IS मार्केट वार्ड नं. 08 मकराना जिला नागौर पर राशि रुपये 25000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(8) आदेश दिनांक 08.12.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर))

(शिशुपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
डीडवाना (नागौर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना